

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 -34/22(2022/60)

अनवान : -

1. हिरालाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. सुरजभान पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामरख जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. मायादेवी पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. मुकेश पत्नी स्व. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा।
5. मोहन पुत्र स्व. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा।
6. रेखा पुत्री स्व. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा।
7. ज्योती पुत्री स्व. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी


अधिनियम

उपस्थिति :- श्री कृष्ण भारी वादी

श्री नरेन्द्र सिहाग प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 18/4/22


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 1 जेजीडब्ल्यू के खात सं. 12/32 के मु.न. 04 के किला नं. 11/1, 11/2, 20, 21 मु.न. 5 के किला नं. 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु.न. 19के किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 18,19 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23 मु.नं. 22 के किला नं. 1/1, 1/2, 2, 3 कुल किला 45 की 6.8310 हैक्टर जिसमें 6.5880 हैक्टर नहरी, 0.1680 हैक्टर गैर मु. रास्ता, 0.0750 हैक्टर गै.मु. खाला राजस्व रिकार्ड में शामिल खाता में प्रतिवादी सं. 01 अमरसिंह के नाम 854/6831 हिस्सा दर्ज है तथा चक 01 जेजीडब्ल्यू के खात सं.0 94/78 के मु.न. 21 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22, मु.न. 22 के किला नं. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23,24,25/1, 25/2, मु.न. 45 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1,4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 मु.न. 46 के किला नं. 1, 2, 9, 10 कुल किला 43 की 7.7170 हैक्टर , जिसमें 7.4660 हैक्टर नहरी, 0.2510 हैक्टर

गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4 हिस्सा शराजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 3 एमआरएन के खाता सं. 3/84 के मु.न. 43 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 7 ता 9 12 ता 14 , 17 ता 19, 21/1, 22 ता 24 एवं मु. न. 47 के किला नं. 2 ता 4, 9 कुल किता 22 की 4.6800 हैक्टर, जिसमें 4.6280 हैक्टर नहरी, 0.0520 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 9 एएमएस के खाता सं. 36/125 के मु. नं. 52 के किला नं. 19, 22 मु.न. 55 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/5, 3/6, 8, 9 कुल किता 8 की 1.3920 हैक्टर, जिसमें 1.3540 हैक्टर नहरी, 0.0380 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा रामरख की खातेदारी हुआ करती थी। रामरख से विरास्तन वादभूमि प्रतिवादी 01 अमरसिंह को प्राप्त हुई, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 01 ता 07 की सहदायिकी कृषि भूमि है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 02 ता 7 का जन्म से हक व हिस्सा है।

प्रतिवादी सं. 3 का विवाह वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अच्छे घर में कर दिया है, जहां उसके पास काफी चल व अचल सम्पति है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 ने वाद भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 02 व 05 के नाम बहिससा बराबर हक त्याग कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादी सं. 01 वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है जिसने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 5 के नाम बहिससा बराबर हक त्याग कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादी सं. 4 के पति व प्रतिवादी 5 ता 7 के पिता दारासिंह का देहान्त हो चुका है, जिसके प्रतिवादी 4 ता 7 कानूनी व जायज वारिसान है। प्रतिवादी सं. 4 के नाम चक 1 एम.आ.एन. व गांव पालड़ी में कृषि भूमि नाम दर्ज है इसलिए प्रतिवादी सं. 4, 6 व 7 ने अपना अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम हक त्याग कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है।

परमप्राधिकारी (राजस्व)
गण (जिला-सुभानपुर)

वादी एवं प्रतिवादीगण का फौमिली सैटलमेन्ट हो चुका है जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 3 का विवाह वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अच्छे घर में कर दिया है, जहां उसके पास काफी चल व अचल सम्पति है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 ने वाद भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 02 व 05 के नाम बहिससा बराबर हक त्याग कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादी सं. 01 वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है जिसने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 5 के नाम बहिससा बराबर हक त्याग कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है तथा प्रतिवादी सं. 4 के पति व प्रतिवादी 5 ता 7 के पिता दारासिंह का देहान्त हो चुका है, जिसके प्रतिवादी 4 ता 7 कानूनी व जायज वारिसान है। प्रतिवादी सं. 4 के नाम चक 1 एम.आ.एन. व गांव पालड़ी में कृषि भूमि नाम दर्ज है इसलिए प्रतिवादी सं. 4, 6 व 7 ने अपना अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम हक त्याग कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है, उक्त कथन राजीनामों में स्वीकार


है। इसलिए उपरोक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है और बाद घोषणा इस कदर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने के अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया, जिसमें उपरोक्त सैटलमेन्ट के अनुसार डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 08 स्टेट पैरोकार का जवाब प्राप्त हुआ। राजीनामा बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी हिरालाला पुत्र अमरसिंह के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर बयान करवाये व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 1 जेजीडब्ल्यू के खाता सं. 12/32 के कुल कित्ता 45 की 6.8310 हैक्टर जिसमें 6.5880 हैक्टर नहरी, 0.1680 हैक्टर गैर मु. रास्ता, 0.0750 हैक्टर गै.मु. खाला राजस्व रिकार्ड में शामिल खाता में प्रतिवादी सं. 01 अमरसिंह के नाम 854/6831 हिस्सा दर्ज है तथा चक 01 जेजीडब्ल्यू के खात सं.0 94/78 के कुल कित्ता 43 की 7.7170 हैक्टर, जिसमें 7.4660 हैक्टर नहरी, 0.2510 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4 हिस्सा शराजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 3 एमआरएन के कुल कित्ता 22 की 4.6800 हैक्टर, जिसमें 4.6280 हैक्टर नहरी, 0.0520 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 9 एएमएस के खाता सं. 36/125 कुल कित्ता 8 की 1.3920 हैक्टर, जिसमें 1.3540 हैक्टर नहरी, 0.0380 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


प्रवक्ताधिकारी (राजस्व),
भारत (जिला-रुनुमानागढ़)


क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 जेजीडब्ल्यू के खात सं. 12/32 के मु.न. 04 के किला नं. 11/1, 11/2, 20, 21 मु.न. 5 के किला नं. 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु.न. 19 के किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 18, 19 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23 मु.नं. 22 के किला नं. 1/1, 1/2, 2, 3 कुल कित्ता 45 की 6.8310 हैक्टर जिसमें 6.5880 हैक्टर नहरी, 0.1680 हैक्टर गैर

मु. रास्ता, 0.0750 हैक्टर गै.मु. खाला राजस्व रिकार्ड में शामिल खाता में प्रतिवादी सं. 01 अमरसिंह के नाम 854/6831 हिस्सा दर्ज है तथा चक 01 जेजीडब्ल्यू के खात सं. 0 94/78 के मु.न. 21 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22, मु.न. 22 के किला नं. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23,24,25/1, 25/2, मु.न. 45 के किला नं. 3/1, 3/2, 4/1,4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 मु.न. 46 के किला नं. 1, 2, 9, 10 कुल किता 43 की 7.7170 हैक्टर , जिसमें 7.4660 हैक्टर नहरी, 0.2510 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4 हिस्सा शराजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 3 एमआरएन के खाता सं. 3/84 के मु.न. 43 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 21/1, 22 ता 24 एवं मु.न. 47 के किला नं. 2 ता 4, 9 कुल किता 22 की 4.6800 हैक्टर, जिसमें 4.6280 हैक्टर नहरी, 0.0520 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 9 एएमएस के खाता सं. 36/125 के मु.नं. 52 के किला नं. 19, 22 मु.न. 55 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/5, 3/6, 8, 9 कुल किता 8 की 1.3920 हैक्टर, जिसमें 1.3540 हैक्टर नहरी, 0.0380 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं. 01 अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण हीरालाल व सुरजभान एवं प्रतिवादी सं. 2 विनोद कुमार व प्रतिवादी वसं. मोहन बहिस्सा बराबर यानि 1/4-1/4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...18/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.-



मि0न0 -34 / 22(2022 / 60)

अनवान : -

1. हिरालाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
 2. सुरजभान पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
- वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामरख जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. विनोद कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
3. मायादेवी पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
4. मुकेश पत्नी स्व. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा।
5. मोहन पुत्र स्व. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा।
6. रेखा पुत्री स्व. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा।
7. ज्योती पुत्री स्व. दारासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शंकुतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल कृष्ण भारी व वकील प्रतिवादी श्री नरेन्द्र सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 जेजीडब्ल्यू के खात सं. 12/32 के मु.न. 04 के किला नं. 11/1, 11/2, 20, 21 मु.न. 5 के किला नं. 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 21/1, 21/2, 22 ता 25 मु.न. 19के किला नं. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 18, 19 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23 मु.नं. 22 के किला नं. 1/1, 1/2, 2, 3 कुल कित्ता 45 की 6.8310 हैक्टर जिसमें 6.5880 हैक्टर नहरी, 0.1680 हैक्टर गैर मु. रास्ता, 0.0750 हैक्टर गै.मु. खाला राजस्व रिकार्ड में शामिल खाता में प्रतिवादी सं. 01 अमरसिंह के नाम 854/6831 हिस्सा दर्ज है तथा चक 01 जेजीडब्ल्यू के खात सं.0 94/78 के मु.न. 21 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22, मु.न. 22 के किला नं. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7,

14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23,24,25/1, 25/2, मु.न. 45 के

किला नं. 3/1, 3/2, 4/1,4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 मु.न. 46 के

किला नं. 1, 2, 9, 10 कुल किता 43 की 7.7170 हैक्टर , जिसमें 7.4660 हैक्टर नहरी, 0.2510 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4 हिस्सा शराजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 3 एमआरएन के खाता सं. 3/84 के मु.न.

43 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 21/1, 22 ता 24 एवं मु.न. 47 के किला नं. 2 ता 4, 9 कुल किता 22 की 4.6800

हैक्टर, जिसमें 4.6280 हैक्टर नहरी, 0.0520 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 9 एएमएस के खाता सं. 36/125 के मु.नं. 52 के किला नं. 19, 22 मु.न. 55 के किला नं. 2/1,

2/2, 3/5, 3/6, 8, 9 कुल किता 8 की 1.3920 हैक्टर, जिसमें 1.3540 हैक्टर नहरी, 0.0380 हैक्टर गै.मु. खाला शामिल खाते में प्रतिवादी सं. 01 का 1/4

हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं. 01 अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण हीरालाल व सुरजभान एवं प्रतिवादी सं. 2 विनोद कुमार व प्रतिवादी वसं. मोहन बहिस्सा बराबर यानि 1/4-1/4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन

मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...18/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शंकुतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़